(c) and (d) Yes, Sir.

(e) No, Sir.

(f) Victims of stampede are not eligible as they are not passengers travelling on a passenger carrying train which meets with an accident, as per the provisions of the Indian Raiways Act, 1890.

2268. [*Transferred to the 29th March,* 1990].

"इफको" के प्रबन्धनिदेशक के विरुद्ध आरोप

2269. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय अधिक धनराशि का भुगतान करने के संबंध में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक पर आरोप लगाए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उन आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए इस मामले की कोई जांच की है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में आंवला परियोजना के निष्पादन में 153.27 लाख रुपये के भुगतान संबंधी अनियमितताओं को इफको की एक आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिए गठित समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर इफ्को के "बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स" ने विचार किया है। बोर्ड ने लापरवाही के आरोप में प्रारम्भिक रूप से दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया हैं। बोर्ड के निर्देशानुसार कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है जबकि कुछ को आरोप-पत्र जारी कर दिए गए हैं। एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, तथा जांच चल रही है।

छोटे और सीमान्त किसान

2270. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में छोटे और सीमान्त किसान हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश किसान गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के किसानों की संख्या का अनुमान लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन किसानों के लिए अगले तीन वर्षों हेतु क्या विकास संबंधी योजनायें आरम्भ की हैं और उनमें से कितने किसान इस अवधि के बाद गरीबी की रेखा को पार कर जायेंगे ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए अलग से ऐसे कोई सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते।

(घ) छोटे एवं सीमान्त किसानों के विकास हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अगले तीन वर्षों तक जारी रहने की संभावना है :—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए चुने गए राज्यों में छोटे एवं सीमान्त किसानों की जोतों में उथले नल-कूपों तथा खोदे गये कुंओं के निर्माण के जरिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता देना।

(2) कृषक कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना करना तथा बीज रोपण एवं पौधरोपण मशीनों की शुरुआत करना एवं इन्हें अपनाना।